न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–16 / 2020

डोमनी देवी ....वादी

बनाम

अनुपिया देवी वगैरह..प्रतिवादीगण

आदेश

14.09.22 प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगणों के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–11.08.2022 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–01.09.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगणों ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक–07.07.2022 को पारित निषेधाज्ञा खारिजी आदेश का अनुपालन थानाध्यक्ष, मोहिउद्दीन नगर द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश देने की कृपा की जाए, चूँकि वादीगण उनके निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने यह निवेदन किया है उपरोक्त आदेश पारित होने के पश्चात् प्रतिवादीगण काफी उत्साहित होकर युद्ध स्तर पर विवादित भूमि में निमार्ण कार्य शुरू कर चुके हैं और न्यायालय के आदेश द्वारा पुलिस बल के सहयोग से उसका निर्माण पूर्ण करना चाहते हैं। अतः उनका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.07.2022 के द्वारा वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–26.08.2020 को तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर खारिज किया गया है एवं विवादित भूमि का विनिर्दिष्ट पहचान नहीं होना उस आदेश का मूल है। अतः जब तक उक्त भू–भाग के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट मंतव्य न्यायालय द्वारा आवश्यक साक्ष्य के आधार पारित नहीं होता है तब तक उस विवादित भूमि की दखल–कब्जे के संबंध में न्यायालय के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को किसी प्रकार कोई दिशा–निर्देश दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। तद्नुसार प्रतिवादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन नियमानुसार विधि प्रतिकूल पाते हुए मो0 500/– रु0 खर्च के साथ इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वे वाद निष्पादन में अपना सहयोग करें एवं विधि विरुद्ध आवेदन दाखिल करने से बचें। अभिलेख दिनांक–02-11-22 वास्ते 89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी
14/9/22